संख्या-176-12-3-2026-1392757

प्रेषक

प्रदीप मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 21-03-2026

विषय:-कृषोन्नति योजना अन्तर्गत संचालित उपयोजना ''फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी'' के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ने.फू.सि.मि./1490/अनु0-11/2025-26, दिनांक 09.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषोन्नति योजनान्तर्गत संचालित ''फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी'' योजना हेतु अनुदान संख्या-11 में वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Mother Sanction के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए रू0 918.51 लाख(रू0 नो करोड अट्ठारह लाख इक्यावन हजार मात्र) (के0+रा0) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाषीर्शक	मानक मद	प्राविधान	पूर्व में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत धनराशि
अनुदान-11 के लेखाशीर्शक 2401-फसल कृशि कर्म 102-खाद्यानों की फसलें 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी	07-मानदेय	308.96	40.96	252.20
	27-सब्सिडी	17220.23	7421.43	366.31
	42-अन्य व्यय	954.83	400.83	00.00
	44-प्रशिक्षण	41.51	15.51	00.000
	58-आउट सोर्सिंग	813.67	258.67	300.00
योग-		**19339.20**	**8137.40**	**918.51**

(रू0 नो करोड लाख इक्यावन लाख मात्र)

2.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। उपर्युक्त अनुदान सं0/लेखाशीर्षक/मानक मद के अन्तर्गत निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण समयबद्ध रूप से शासन एवं भारत सरकार को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. केन्द्रांशअवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.03.2026 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक,उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता बजट/प्राविधान/निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत व्यय को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तथा एस0एल0एस0सी0 द्वारा निर्दिष्ट भारत सरकार की सहमति के अनुसार किया जायेगा। कृषि निदेशक, द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

7. निर्गत वित्तीय स्वीकृति को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यता सुनिश्चित कर लिया जाये तथा यह भी यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

12- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0 सं0- E-1-353-X-2025-26-दिनांक:18-3-2026 द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रदीप मिश्र
अनु सचिव

सं0-176(1)/12-3-2026-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)/मिशन निदेशक, ने0फू0सि0मि0, कृषि भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

14- गार्ड बुक।

आज्ञा सें,

प्रदीप मिश्र

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।